

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक: 493/स.सा.प्र.वि./2021
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/05/2021

1. समस्त संभागायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक
2. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक


विषय:- अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों हेतु कोविड टेस्ट की अनिवार्यता संबंधी दिशा-निर्देश में संशोधन बाबत।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश क्रमांक 489/स.सा.प्र.वि./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/04/2021

--00--

नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए पूर्व में जारी निर्देशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाते हैं:-

1. हवाई यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों से बोर्डिंग के समय आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की रिपोर्ट होने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा उन्हें राज्य के भीतर आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी।
2. जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर की जायेगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आईसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा।
3. रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर एयरपोर्ट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित की जाये।
4. रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा उन्हें भी राज्य के भीतर रेलवे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी। उपरोक्त निर्देशों के प्रतिदिन पालन एवं फॉलोअप के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। यह निर्देश 21 मई से लागू होगा एवं पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे।


(डॉ. कमलप्रोत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग